प्रेस नोट-थाना जैतीपुर

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 14.11.2026

थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 95 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (स्मैक) के साथ 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, तस्करी में प्रयुक्त मोबाइल फोन व 210 रुपये बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में अपराधियों की गिरफ्तारी, वांछित/वारण्टी एवं जिला बदर अपराधियों की तलाश तथा अवैध शराब, शस्त्र, अफीम एवं चरस की बिक्री/निर्माण की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग तथा गश्त के दौरान थाना जैतीपुर पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 14.11.2026 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग तथा अवैध शराब, शस्त्र एवं मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध वस्तु लेकर बनखण्डी पुलिया से दातागंज मार्ग की ओर जाने वाला है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान बनखण्डी पुलिया के पास पहुंचकर चेकिंग की जाने लगी। कुछ देर बाद नहर पटरी शिवपुरी की ओर से एक व्यक्ति बाइक से आता दिखाई दिया, जो पुलिस टीम को देखकर घबराकर बाइक मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। जिसे बनखण्डी पुलिया से ग्राम शिवपुरी की ओर 20 कदम की दूरी पर बाइक सहित पकड़ लिया गया। नियमानुसार धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए जामा तलाशी लेने पर अभियुक्त अरबाज पुत्र बन्ने निवासी वार्ड नं0 4 मोहल्ला मिरधान थाना फरीदपुर जनपद बरेली के कब्जे से 95 ग्राम अवैध स्मैक, एक मोबाइल फोन सैमसंग तथा 210 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा उक्त स्मैक अकरम पुत्र नामालूम निवासी फरीदपुर जनपद बरेली से लाना तथा उसका कुछ हिस्सा दातागंज में बेचने हेतु जाना बताया गया। अभियुक्त को समय 10:02 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 162/2026 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम 1. अरबाज पुत्र बन्ने निवासी वार्ड नं0 4 मोहल्ला मिरधान थाना फरीदपुर जनपद बरेली (गिरफ्तार), 2. अकरम पुत्र नामालूम निवासी फरीदपुर जनपद बरेली (वांछित) पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है तथा उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अरबाज पुत्र बन्ने नि0 वार्ड न. 04 मो0 मिरधान थाना फरीदपुर जनपद बरेली उम्र 25 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

दिनांक 14.11.2026 समय 10.02 बजे बनखण्डी पुलिया पर थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 0162/26 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0162/26 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 0786/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना फरीदपुर जिला बरेली

बरामदगी का विवरणः-

1. 95 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक
2. 01 अदद मोबाइल Samsung कम्पनी
3. 210 रूपये

पूछताछ विवरणः-

अभियुक्त अरबाज उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह स्मैक खरीदकर चलते-फिरते व्यक्तियों एवं ट्रक चालकों को बेचता है। उक्त 95 ग्राम स्मैक उसने अकरम नामक व्यक्ति से खरीदी थी, जिसके संबंध में उसे कोई ठोस जानकारी नहीं है। उक्त व्यक्ति ने अपना नाम अकरम तथा स्वयं को स्थानीय निवासी बताया था। अभियुक्त के अनुसार वह उक्त व्यक्ति को पूर्व से नहीं जानता-पहचानता था तथा उसकी बोलचाल से उसे झारखण्ड का निवासी होने का आभास हुआ। अभियुक्त ने बताया कि उक्त व्यक्ति स्मैक के बदले रुपये लेकर चला गया तथा संभवतः अपना गलत पता बताकर उसे गुमराह किया। अभियुक्त उक्त स्मैक को दातागंज, जनपद बदायूं में बेचने जा रहा था, किंतु बिक्री करने से पूर्व ही पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके कब्जे से 95 ग्राम स्मैक बरामद हुई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः –

1. थानाध्यक्ष श्री रामेन्द्र सिंह थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
2. उप निरीक्षक रविन्द्रनाथ थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
3. हे0का0 तैय्यब अली थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
4. हे0का0 अजय राना थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
5. का0 नवीन कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
6. का0 शिव कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।